

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिकी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-02/16-17

कार्तिक तिग्गा, पिता स्व.फागु तिग्गा(पहान)
निवास ग्राम-अरगोडा, थाना अरगोडा,
जिला राँची प्रथम पक्ष।

बनाम

रजनीश कुमार, पिता-प्रमोद कुमार चौधरी,
निवास ग्राम-अरगोडा वार्ड नं.-II/C, थाना-
अरगोडा, जिला राँची। द्वितीय पक्ष।

आदेश

प्रथम पक्ष कार्तिक तिग्गा, पिता स्व. फागु तिग्गा (पहान), निवास ग्राम-अरगोडा, थाना अरगोडा, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष रजनीश कुमार, पिता-प्रमोद कुमार चौधरी, निवास ग्राम-अरगोडा वार्ड नं.-II/C, थाना-अरगोडा, जिला राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	श्रकबा
अरगोडा	207	396	1954	13.068 डी.

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन हुसना पाहन वो तुरी उराँव पेसरान शीला उराँव वो चुड़ई उराँव वल्द वुधूआ उराँव कौम उराँव साकिन देह बहीशा बराबर के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।



कृ०पृ०उल्ले

13-02-23

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से कहा है कि उपरोक्त भूमि की खतियानी रैयत के अन्य हिस्सेदार जुडई पाहन वल्द बुधुवा पाहन वगैरह के नाम से दर्ज है। जुडई पाहन अपने दो पुत्र महादेव पाहन व फागु पाहन को छोड़ गये। फागु पाहन अपने पीछे कार्तिक तिग्गा को छोड़ गये। मौखिक बंटवारे और खतियानी रैयत की वंशज होने के नाते प्रथम पक्ष की हिस्से वो अधिकार की भूमि है।

द्वितीय पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उक्त भूमि को रूपम सहकारी गृह निर्माण समिति, अशोक नगर, राँची एक कॉपरेटिव सोसाईटी है जो कि बिहार एवं उड़ीसा कॉपरेटिव सोसाईटी एक्ट 1935 के अन्दर नं. 1R1987 के अधीन रजिस्टर्ड है। उक्त भूमि सहित प्लॉट नं. 1954 खाता नं. 396 रकवा 49 डी. मौजा-अरगोडा, थाना नं.-207 जिला राँची स्थित भूमि को रजिस्ट्री पट्टा सं.-8740 दिनांक-27.08.1986 ई. को राँची निबंधन कार्यालय द्वारा खरीदकर हासिल किया गया है। उक्त खरीदगी के बाद रूपम सहकारी गृह निर्माण समिति शांति पूर्ण रूप से काबिज वो दखलकार हुआ। रूपम सहकारी गृह निर्माण समिति ने मौजा-अरगोडा, थाना नं.-207 जिला राँची स्थित खाता नं.-396 प्लॉट नं.-1954/4,5,6 रकवा-49 डी. में से रकवा-09 कट्टा भूमि श्रीमती नीलम सिन्हा, पति आर.एन.सिन्हा को निबंधित पट्टा सं.-9995 दिनांक-10.11.1989 ई. को बिक्री निबंधित हस्तान्तरित कर दिया। क्रेता नीलम सिन्हा ने उक्त भूमि को अपने नाम से होल्डिंग रसीद तथा दाखिल खारिज कराकर सलाना मालगुजारी रसीद प्राप्त करती रही। तदोपरांत नीलम सिन्हा ने उक्त खरीदगी भूमि मौजा-अरगोडा, थाना नं.-207 जिला राँची स्थित खाता नं.-396 प्लॉट नं.-1954 रकवा-09 कट्टा भूमि को रजनीश कुमार के नाम से रजिस्ट्री सं.-8018 दिनांक-21.02.2005 को बिक्री निबंधित हस्तान्तरित कर दिया।

M. J.

तत्पश्चात् बिक्री निबंधित/हस्तारण की तिथि के बाद से द्वितीय पक्ष अपने नाम से होल्डिंग कराकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं, तथा अपने नाम से बिजली कनेक्सन भी लिया है। द्वितीय पक्ष सपरिवार उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे हैं।

अंचल अधिकारी, अरगोडा के पत्रांक-102 दिनांक 04.08.16 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान के अनुसार मौजा-अरगोडा, थाना नं.-207 खाता नं.-396, प्लॉट नं.-1954, रकवा-13.068 डी. हुसन पहान वगै. (बकास्त) भुइहरी के नाम से दर्ज है। पंजी-2 के अनुसार आवेदित भूमि शीबा पाहन वोगैरह वो जुडैर पाहन पे हुसना पहान के नाम से दर्ज है। अभी प्रतिवादी का दखल कब्जा है।

अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया। चूंकि विवादित भूमि का खतियान हुसना पाहन वो तुरी उराँव पेसरान शीला उराँव वो चुड़ई उराँव वल्द वुधूआ उराँव कौम उराँव साकिन देह बहीशा बराबर के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियान रैयत के अन्य हिस्सेदार जुडई पाहन के वंशज है। द्वितीय पक्ष रजनीश कुमार ने उक्त भूमि को श्रीमती नीलम सिन्हा से निबंधित पट्टा सं.-8018 दिनांक-21.02.2005 ई. को बिक्री निबंधित के द्वारा प्राप्त किया है, और नीलम सिन्हा ने भी उक्त भूमि को रूपम सहकारी गृह निर्माण समिति से रजिस्ट्री पट्टा सं.-9995 दिनांक-10.11.1989 ई. को बिक्री निबंधित द्वारा प्राप्त किया था। रूपम सहकारी गृह निर्माण समिति ने भी रजिस्ट्री पट्टा सं.-8740 दिनांक-27.08.1986 ई. को बिक्री निबंधित के माध्यम से प्राप्त किया था। उक्त भूमि के अन्य रैयतो के वंशज और हिस्सेदारों के द्वारा कोई वाद दायर नहीं किया गया है, और न ही कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति की गयी है। एकमात्र इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा ही द्वितीय पक्ष पर वाद दायर किया है। जबकि विवादित भूमि को खरीदगी पट्टा के माध्यम से द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया गया है। छल प्रपंच से विवादित जमीन हस्तान्तरण नहीं हुआ है।

M. D.

चूँकि प्रश्नगत भूमि का अंतरण की तिथि वर्ष 1986 है, एवं अंतरण संबंधी दस्तावेजों का न्यायालय के द्वारा सत्यापन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा लगभग 30 वर्षों के बाद भू-वापसी का यह वाद दायर की गयी है। जबकि छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम के धारा-71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षों के अन्दर ही दायर की जानी चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, राँची बेंच के द्वारा प्रकाशित फैसला-C.W.J.C.No.-645/1979(R) मिटकु कोईरी बनाम बिहार सरकार एवं जगेश्वर तेली बनाम बिहार सरकार (1994)(1) पी०एल०जे०आर० पृ०-91, लुकस खरीया बनाम बडाईक बहादुर सिंह 2005(3) जे०सी०आर० पृ०-132 का हवाला दिया गया। इस सभी फैसलों में माननीय पटना उच्च न्यायालय, राँची बेंच एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने यह व्यवस्था दी है कि धारा-71"A" के अन्तर्गत आवेदन 30 वर्षों के अन्दर ही दायर की जा सकती है, एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 Situ Sahu & Ors-vrs-State of Jharkhand के आदेश दि.-10.09.2004 को निम्न आदेश पारित है—
Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71-A and 71-B Limitation Act, 1963, Article 65- Restoration of land To the members of Scheduled Tribe and Khatiyani holders-Sustainability of-Power under Section 71-A could have been exercised only within a reasonable time-Exercise of powers after lapse of 40 year against the period of limitation of 30 years under the Limitation Act- Not a reasonable time for-Application for restoration not maintainable वर्तमान वाद में भी आवेदन समय-सीमा के अन्दर दायर नहीं की गई है।

अतः माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी द्वारा दाखिल साक्ष्य के आधार पर आवेदक का आवेदन काल-बाधित है। प्रश्नगत भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।